



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई-मेल : deanshivpuri@gmail.com

वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक 31-36 /स्था.अराज/2024

शिवपुरी, दिनांक 02.03.2024

// विज्ञप्ति सूचना //

:: गैर-शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पद हेतु ::

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 दिनांक 07.04.2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं आदेश क्रमांक एफ2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 के परिपालन में श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में गैर-शैक्षणिक में भृत्य के सीधी भर्ती के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक ..... शाम 5.00 बजे तक

(1) भृत्य के रिक्त पदों की संख्या :- 03

पद का नाम..... भृत्य).....पदवार आरक्षण तालिका (प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक भरा जावेगा)

| क्र. | श्रेणी                 | निल |       | भूतपूर्व सैनिक |       | दिव्यांग | योग |
|------|------------------------|-----|-------|----------------|-------|----------|-----|
|      |                        | ओपन | महिला | ओपन            | महिला |          |     |
| 1    | 2                      | 3   | 4     | 5              | 6     | 7        | 8   |
| 1    | अनारक्षित (UR)         | 1   | 0     | 0              | 0     |          | 1   |
| 2    | ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)    | 0   | 0     | 0              | 0     |          | 0   |
| 3    | अनुसूचित जाति (SC)     | 0   | 0     | 0              | 0     | -        | 0   |
| 4    | अनुसूचित जनजाति (ST)   | 0   | 0     | 0              | 0     |          | 0   |
| 5    | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 1   | 0     | 0              | 0     |          | 1   |
|      | योग                    | 02  | 0     | 0              | 0     | -        | 02  |

पद का नाम\_भृत्य (50: पद सविदा कर्मियों के लिए)...पदवार आरक्षण तालिका (प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक भरा जावेगा)

| क्र. | श्रेणी                 | निल |       | भूतपूर्व सैनिक |       | दिव्यांग | योग |
|------|------------------------|-----|-------|----------------|-------|----------|-----|
|      |                        | ओपन | महिला | ओपन            | महिला |          |     |
| 1    | 2                      | 3   | 4     | 5              | 6     | 7        | 8   |
| 1    | अनारक्षित (UR)         | 0   | 0     | 0              | 0     |          | 0   |
| 2    | ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)    | 0   | 0     | 0              | 0     |          | 0   |
| 3    | अनुसूचित जाति (SC)     | 0   | 0     | 0              | 0     | -        | 0   |
| 4    | अनुसूचित जनजाति (ST)   | 1   | 0     | 0              | 0     |          | 1   |
| 5    | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 0   | 0     | 0              | 0     |          | 0   |
|      | योग                    | 1   | 0     | 0              | 0     | -        | 01  |

नोट :- रिक्त पदों की संख्या संवर्ग में घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

निरंतर .....02

(2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता एवं वेतनमान :-

वेतनमान :- लेवल-01 (15500-49000)

शैक्षणिक योग्यता :- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 08वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

1. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

(4) आरक्षण :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

1. आयुसीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु
2. अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/ मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक नि:शक्तजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु

- न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष

- न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष

(अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के आधार पर की जावेगी।

4. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए।
2. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूरा करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर ) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण -पत्र जमा करना अनिवार्य है।

निरंतर .....03



6. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, ग्वालियर।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति— एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद ना हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो तो ऐसे आवेदक चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये गये अनुसार बंधनकारी होंगी।
12. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्म तिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 8वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

#### 5. अनहर्तायें:-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा:-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी तरिके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या कराया हो या
2. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो।
3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छुपाई हो।
4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो।
5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या।
6. आवेदकों को म.प्र. (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1981 के नियम अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-

अ. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाये गये।

स. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराधी का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

7. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

6. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है:-

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर ब्रिमी लेयर प्रमाण पत्र।

7. गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:-

| क्रमांक | गतिविधि                                  | तारीख |
|---------|--|-------|
| 1       | ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि        |       |
| 2       | ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि      |       |
| 3       | आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि |       |
| 4       | आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि   |       |

उपरोक्त तिथियाँ चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी ऑनलाईन तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क..... रुपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे। परंतु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

निरंतर .....05



## 8. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1200/- (एक हजार दो सौ रुपये), आरक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) एवं निशक्तजन उम्मीदवारों के लिए 600/- (छः सौ रुपये) निर्धारित किये जाते हैं। उक्त आवेदन शुल्क में एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क सम्मिलित रहेगा। परीक्षा में पूछे गये सवालों पर आपत्ती लगाने हेतु 50 रुपये + जी.एस.टी. का शुल्क अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न अतिरिक्त देना होगा।

## 9. आवेदन कैसे करें :-

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लेवे। आप निर्देश पुरतिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
  1. जन्मतिथि के समर्थन में स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र।
  2. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
  3. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
  4. 8 वीं कक्षा की अंकसूची।
  5. जाति प्रमाण पत्र।
  6. प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं हस्ताक्षर सहित 200 के.बी. के आकार से अधिक ना हो।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-  
आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाईन म.प्र. के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधीकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी.ऑनलाईन के अधीकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी. ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर Authorised kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कॅफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फॉर्म भर सकते है।
- इंटरनेट कॅफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि :-  
आवेदक एम.पी. ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) वेबसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवार्थे ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ड्राप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के लोगो पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन में जा कर आवेदन कर सकते है। आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर एम.पी. ऑनलाईन के कस्टमर केयर नम्बर 0755-6720200, 0755 6720222 एवं ई-मेल आई.डी. [helpdesk@mponline.gov.in](mailto:helpdesk@mponline.gov.in)

निरंतर .....06

:06:

- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट <http://shivpurimedicalcollege.com> दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करने के लिये फॉर्म पर क्लिक करें इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाईन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा। जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी hyperlink को लिंक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉरमेट को स्कैन कर (जे.पी.जी 200 के.बी. साईज और मिनीमम) फॉरमेट में ही सेव करें। अब आवेदक ब्राउज बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ ले और यह सुनिश्चित कर ले की फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरांत सबमिट बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन पर क्लिक करेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड    ब. इंटरनेट बैंकिंग

- अ. क्रेडिट /डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – आवेदक किसी भी इंटरनेट कॅफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भर सकता है। ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट /डेबिट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधित जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

निरंतर .....07



- ब. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन दबायेगा यह पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट आवश्यक लें।
- एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि – आवेदक ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) वेबसाईट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग इन करेगा। इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फॉर्म भरने संबंधित निर्देश और जानकारीयां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारीयां फॉर्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फॉर्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो आवश्यक ले जायें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारीयां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईस्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।
  - जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जायेगी।
  - यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फॉर्म का कियोस्क के माध्यम से पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
  - इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शायी गई विधि अनुसार फॉर्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फॉर्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा इसके उपरांत कियोस्क संचालक पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन में उक्त जानकारी भरकर फॉर्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईस्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाईन पेमेंट करने पर यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/ पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिंट लेकर एम. पी.ऑनलाईन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा ऐसा करने पर मान्य ना करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाईन के होमपेज पर सम्पर्क करें में क्लिक करके तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड तीसरा पलोर स्टेट आई.टी.पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीपी, गाँधी नगर भोपाल- 462033, फोन- 0755-6720200 / 0755-6720222 पर संपर्क करें।

10. महत्वपूर्ण टीप:-

उपरोक्त तिथियां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com> एवं एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की कोई जबाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दायेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(डॉ. के.बी. वर्मा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)  
शिवपुरी, दिनांक - 02/04/2024

क्रमांक. 31-36 /स्था./अराज/2024

प्रतिलिपि:-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महा. शिवपुरी।
3. उप-प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापन को एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें
4. लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)।
5. महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)